

U.P. STATE CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of U.P. Undertaking)

(AN ISO 9001:2000 certified Organisation)

Reg. Office : T.C. – 46 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow (U.P.)

Near Jila Panchayat Office, Robertsganj, Sonbhadra-231216

E-mail: upsknn.son@gmail.com,

Mob No.-9454456009

Tender Notice No : 03 /TENDER/EE/SON/2026-27

Dated : 20.05.2026

Notice Inviting E-Tender

1. U.P. State construction and Infrastructure Development Corporation Ltd., Near Jila Panchayat Office, Robertsganj, Sonbhadra invites in 2 bids system online tenders on percentage rate bids from eligible and registered contractors of **U P State construction and Infrastructure Development Corporation Ltd./ Registered in “D” and above class.** Bidders are advised to note the following minimum criteria.

S . N .	Name of Work	Estimated Cost (Rs. In Lacs)	Earnest Money (In Rs.)	Cost of Bid Document (In Rs.)	Time of Completion	Address of sale of tenders	Place of submission of tender
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Renovation work of the building in Jai Prakash Narayan Sarvodaya Vidyalaya, Dudhi, Sonbhadra	32.64 + GST	66,000/-	1652/-	03 Months	To be downloaded from the e-tender portal of NIC ‘etender. up.nic.in	To be uploaded on e-tender portal of NIC

2. The contractors who fulfill the following requirements on bid submission end date shall be eligible to apply.

i) Should have successfully completed similar works during the last five year as a prime contractor satisfying either of the following.

a) Three similar completed works each costing not less than 40% of tendered cost.

Or

b) Two similar completed works each costing not less than 60% of tendered cost.

Or

c) One similar completed work costing not less than 80% of Tendered cost.

Note :- Completed work of similar nature costing not less than the amount equal as mentioned above of the BOQ Amount put to tender with some Central Government Department / State Government Department / Central Autonomous Body / State Public Sector undertaking only shall be considered. Experience Certificate indicating with date of Completion.

3. Should have an average annual financial turnover of 50% of BOQ Amount during last three years, ending 31st March 2025 (copy of Balance Sheet duly certified from registered C.A. with UDIN no.)
4. Should not have incurred any loss in more than two year during the last three year.
5. Solvency certificate form nationalized bank/Scheduled Bank(HDFC/ICICI/AXIS BANK only) or District Magistrate to be submitted/uploaded. (Bank Solvency certificate should not be issued more than 06 month before the closing date of NIT).
6. Information regarding projects in hand, current litigation, orders regarding exclusion, expulsion or black listing, if any should be indicated/uploaded.
7. The bids shall remain valid from acceptance for a period of 90 days from the last date of submission of bids.
8. Bidders shall upload “technical bid” and fee in PDF format and “financial bid” in Excel format.
9. Financial bids shall be opened of those bidders whose bids are technically qualified E.M.D. properly submitted in as RTGS and found eligible. Scanned copy RTGS and Tender Fee transaction detail to be uploaded with technical bid. In financial bid, rates shall be quoted by contractor Exclusive of taxes (GST as applicable shall be paid extra) Please refer para 16.8.3 of special condition of contract.
10. A set of Bidding documents may be downloaded from the e-tender portal of NIC between dated mentioned in column-7 between dated mentioned in tender input form section ‘F’ (critical dates).
11. Bid will be uploaded on e-tender portal of NIC on before dates/time mention in section ‘F’ and the technical Bids will be opened on date as scheduled in portal, in the office of Executive Engineer, UPSCIDCO, Sonbhadra and the name of qualified bidders shall be uploaded at portal. After that financial bids shall be opened and name of successful bidder shall be uploaded and displayed.
12. Bids must be accompanied with tender fee of the amount specified for the work as mentioned in NIT. The Tender fee must be deposited online in Bank account in favor of **U.P. STATE CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD. (UPSCIDCO)**.. Bank account details are as follows-

Bank Name - **Bank of Baroda**
Branch - **Robertsganj**
IFSC Code - **BARB0ROBERT**
Account Number - **25160100001698**

13. Bids must be accompanied with earnest money of the amount specified for the work. The Earnest Money is required to be deposited in the form of RTGS in the above mention account no. **25160100001698, Bank of Baroda Robertsganj, IFSC- BARB0ROBERT**

14. No Engineer of gazetted rank or other Gazetted officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the state/Central Government is allowed to work as a contractor for a period of two years after his retirement from government service, without Government permission. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government as aforesaid before submission of the tender or engagement in the contractor's service.
15. Any bidder who is having criminal record is not allowed to participate in the bidding process.
16. Any bidder who is registered with the state Bar council is not allowed to participate in the bidding process.
17. Bidding Document's general conditions of contract can be seen with tender documents and shall be abide by the tender.
18. The successful bidder will have to submit 5% performance guarantee of the tendered cost in the form of RTGS or Bank Guarantee or nationalized bank/Scheduled bank.

If the rates quoted by the bidder is below the BOQ, additional security will have to be deposited with reference to G.O. No. 622/23-12-2012-2 Audit/08 T.C.-2 Dt 08.06.2012 of UPPWD-Anubhag-12, as per following:-

- (a) 0.50% per 1.00% below up to 10%, below of BOQ.
- (b) 1.00% per 1.00% below, above 10%, below of BOQ.


19. UPSCIDCO Ltd. reserves the right to reject any or all the applications or limit the short list to any number or cancel this process without assigning any reason whatsoever at any time during bid process.
20. The required papers uploads as tender fees, EMD, Affidavit etc for qualification must be uploaded with Seal & signature.
21. Bid capacity (On Rs 100 Non-judicial stamp papers) should be uploaded with duly verified by CA in format (Form A1 & A2 as attached in document should be Signed, sealed with UDIN No. by both C.A. and Bidder). Name of Work, Tender ID and Calculation of Bid Capacity etc. must be written on the stamp Paper.
22. The required papers uploaded for tender should be properly readable with Seal & signature Blurred or misprint paper will not be acceptable.

Note-If the tender fee is not deposited online by the Registered firm then firm will be disqualified.

23. निगम की कार्य प्रणाली में बाधा डालने की मंशा से निविदादाता द्वारा अंकित निविदा शुल्क/धरोहर धनराशि निगम के खाते में जमा नहीं करायी जाती है तो निगम की निविदाओं में प्रथम बार में 6 माह के लिए डिबार, द्वितीय बार में 12 माह के लिये डिबार तथा तृतीय बार में डिबार/ब्लैकलिस्ट करते हुये आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
24. निविदादाता द्वारा साइट निरीक्षण एवं दस्तावेजीकरण के संदर्भ में निम्न बिन्दुओं को भी संज्ञान में लिया जाना है :-
 1. **साइट निरीक्षण अनिवार्यता :-** ठेकेदार अथवा ठेकेदार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रकाशन की तिथि के पश्चात् साइट की भली-भाँति निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।
 2. **नाम पट्टिका का प्रदर्शन :-** निरीक्षण के दौरान ठेकेदार अथवा ठेकेदार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं फर्म की नाम पट्टिका स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
 3. **जी0पी0एस0 आधारित फोटोग्राफी :-** निरीक्षण के दौरान साइट की जी0पी0एस0 लोकेशन सहित फोटोग्राफी करना अनिवार्य होगा। फोटोग्राफ में साइट का स्पष्ट दृश्य और कार्य स्थल का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए।
 4. **फोटोग्राफ का अपलोड करना :-** निरीक्षण के उपरान्त ली गयी जी0पी0एस0 फोटोग्राफ को निर्धारित पोर्टल /प्लेटफार्म पर अपलोड करना अनिवार्य होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि साइट का निरीक्षण किया गया है।
 5. **प्रमाण प्रस्तुत करना :-** ठेकेदार को साइट निरीक्षण की पुष्टि हेतु जी0पी0एस0 फोटोग्राफ और कार्य स्थल का विवरण तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना होगा।
 6. **अनुपालन की पुष्टि :-** निविदा प्राधिकारी निरीक्षण दस्तावेजों और फोटोग्राफ की पुष्टि करेगा, यदि निरीक्षण का पालन नहीं किया जाता है तो ठेकेदार की बिड अस्वीकार कर दी जायेगी।
25. प्रतिभाग करने वाली फर्म द्वारा नयी पंजीकरण व्यवस्था के अनुसार हैसियत प्रमाण-पत्र श्रेणीवार ए+, ए, बी, सी, डी एवं ई श्रेणी के अनुसार क्रमशः 300.00 लाख, 150.00 लाख, 80.00 लाख, 40.00 लाख, 10.00 लाख एवं 2.00 लाख अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा तकनीकी बिड अस्वीकृत कर दी जायेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
26. सभी आवश्यक शपथ पत्र रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी सहित टेण्टर आई0डी0 एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा तथा सभी शपथ पत्र निविदा के प्रकाशन की तिथि के बाद के होना अनिवार्य है।

Note - Any amendment or corrigendum or any other update shall be available on <https://etender.up.nic.in>. Therefore Bidder's are requested to refer to the e-tender portal from time to time for any amendment/corrigendum/other update regarding the e-tender.

27. सशर्त निविदाये मान्य नहीं होगी।


Executive Engineer
UPSCIDCO,
Sonebhadra

TENDER DOCUMENT

VOLUME I-A

PRE-QUALIFICATION BID

Name of Work	: Renovation work of the building in Jai Prakash Narayan Sarvodaya Vidyalaya, Dudhi, Sonbhadra
Estimated Cost	: Rs. 32.64 Lacs + G.S.T.
Cost of Tender Documents	: Rs. 1652/-
Earnest Money	: Rs. 66,000/-
Time of Completion	: 03 Months
Defects liability period	: 12 Month from Hand Over
Validity of Tender	: 90 Days
Publishing start date of tender on NIC	: 20.05.2026 Time 12:00 PM
Bid submission start date	: 20.05.2026 Time 12:00 PM
Bid submission end date	: 29.05.2026 Time 12:00 PM
(i) Technical BID opening date	: 29.05.2026 Time 04:00 PM

INSTRUCTIONS OF THE TENDERER :

1. The tender shall be uploaded as two bid system in accordance with the procedures detailed here. Specified documents shall be uploaded in appropriate format,
2. Conditional tender will not be considered.
3. Each and every document to be uploaded must be numbered and its number must be indicated in the following index :-

Index of documents to be submitted along with tender

S.No.	Type of Document	Page No.
Technical Cover (A) Only in PDF file		
i)	Pre-qualification Bid	1 to _____
ii)	Earnest Money Dated &No.	_____
iii)	Experience Certificates	_____
iv)	Liquid Asset Certificate "Appendix A"	_____
v)	I.T.C.C./ Balance Sheet.....	_____
vi)	Partnership Deed/ M.O.U. / Partnership	_____
vii)	Authority Letter	_____
viii)	Any other Documents	_____

Financial Cover (B)

- i) Price Bid for item rate tender only in Excel format.

Pre-Qualification Notice

1. The work is to be completed in a time bound schedule of **03 months** from the date of start of the project and shall be carried out with specified specifications, workmanship and quality.
2. UPSCIDCO LTD. reserves the right to deny pre-qualification to any applicant without assigning any reason.
3. Each page of the application shall be duly signed by the applicant or a person duly authorized to sign on behalf of the applicant organisation. Such authorization shall be in the form of a written Power of Attorney and should accompany the application
4. Even if the applicant organisation satisfies all the required conditions, they are liable to be disqualified if they have :-
 - a. Made any untrue/false representation in the application, statements and attachments required in the pre-qualification documents.
 - b. Record of poor performance such as abandoning work, not properly completing the contract or financial failures or poor workmanship in ongoing/past projects
5. Only firms, pre-qualified under this procedure, will be eligible for the opening of envelope (B) price bid.
6. All erasures and alternations made while filling the tenders must be attested by the authorized signatory of the bidder. Overwriting of figures is not permitted.
7. Any tender which is not accompanied by the earnest money deposit shall be summarily rejected.
8. This document is not transferable.
9. Any form of canvassing at any stage will disqualify the tender.

NOTE :- Documentary evidence for each of the above Pre-Qualification criteria should be uploaded with the Pre-Qualification Bid, failing which the offer will be rejected summarily.

**Pre-Qualification Application
(To be submitted in Applicant's Letter Head)**

To,

**Executive Engineer,
U.P. State Construction and Infrastructure Development Corporation Ltd.,
Near Jila Panchayat Office, Robertsganj, Sonbhadra.**

Sub:- Application of Pre-Qualification for Renovation work of the building in Jai Prakash Narayan Sarvodaya Vidyalaya, Dudhi, Sonbhadra

Dear Sir,

1. Having examined the Pre-Qualification document including scope of works and time frame, I/we hereby submit all the necessary information and relevant documents for pre-qualifying me/us for bidding for the above stated works.
2. The application is made by me/us on behalf of _____ in the capacity of _____. I/We duly authorized to submit the offer.
3. Necessary evidence, as admissible in law, in respect of authority assigned to me/us on behalf of the firm for applying and for completion of the contract document is attached herewith.
4. An EMD of Rs. _____/- by way of RTGS Payment. _____ dated _____ drawn on _____ Favoring **EXECUTIVE ENGINEER, UPSCIDCO LTD. PAYABLE AT SONEBHADRA** is enclosed/uploaded already.
5. I/We understand that only the firms pre-qualified will be invited to tender for the project as a whole or in part at discretion of UPSCIDCO LTD.
6. I/we understand that UPSCIDCO LTD. reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason.

Yours faithfully,

(Authorized Signatory)
Official Seal

Encl:- As above

1. **Complete Application format as per Schedule A**
2. **Evidence of Authority to sign**
3. **Latest Company Profile**
4. **Copies of documents submitted**

- a)
- b)
- c)
- d)

(SCHEDULE - A)
CHECK LIST

Name of Work-

Name of Firm-

SL.N.	Description of Document	Index	Check List Yes/No
1	Tender Fee (RTGS)		
2	Earnest Money (RTGS)		
3	Certificate of Registration in UPSCIDCO		
4	GSTIN Certificate & Last Month GST Return File		
5	Pan Card		
6	I.T.R. Last 3 Year		
7	Balance Sheet & Profit & Loss Account (duly Certified from C.A with UDIN No.) Last 3 Year		
8	Turn Over Certificate Certified (duly Certified from C.A with UDIN No.) Last 3 Year		
9	Experience Certificate		
10	Character Certificate		
11	Solvency Certificate		
12	Labour Registration		
13	Bidding Capacity (duly Certified from C.A with UDIN No.) (On Rs 100 No Judicial Stamp Paper) Form A1		
14	Project Under Execution (Form A2)		
15	The bidder should also attach GPS photographs after visiting the site in the bid		
16	Affidavit of declaration Genuine and True of all document and the firms (On Rs 100 No Judicial Stamp Paper)		
17	Affidavit of Not black listed (On Rs 100 No Judicial Stamp Paper)		
18	Affidavit of Blood Relation (On Rs 100 No Judicial Stamp Paper)		
19	Affidavit of State Bar Council (On Rs 100 No Judicial Stamp Paper)		
20	Affidavit of Criminal Record (On Rs 100 No Judicial Stamp Paper)		
21	Affidavit valid from acceptance for a period of 90 days (On Rs 100 No Judicial Stamp Paper)		

Note- All Paper self attested with stamp

Signature with Stamp of Contractor

FORM FOR BIDDER'S BIDDING CAPACITY
(on or after the date of publication of tender)

Name of the Firm /Bidder:.....

Name of Work:- "Construction of -----

1. The Bidding capacity of the bidder should be equal to or more than the estimated cost of the workput to tender. The bidding capacity shall be worked out by the following formula:

$$\text{Bidding Capacity (Rs.)} = \{[A \times N \times 2.5] - B\}$$

Where,

A = Maximum turnover in construction works executed in any one year during the last five years taking into account the completed as well as works in progress. The value of completed works shall be brought to current costing level by enhancing at a simple rate of 7% per annum.

N = Number of years prescribed for completion of work for which bid has been invited.

B = Value of existing commitments and ongoing works to be completed during the period of completion of work for which bid has been invited (Value of B worked out from "Form A2").

Signature of Chartered Accountant with Seal & Signature of Bidder

Project Under Execution

S. No.	Details	
1.	Name of work/ project and location	
2.	Owner or sponsoring organization	
3.	Cost of work in Rs. (in Lacks)	
4.	Date of commencement as per contract	
5.	Stipulated date of completion	
6.	Up to Date % Financial Progress	
7.	Value of Balance Commitment to Complete work till Period for which Bid Invited (Lacks)	
8.	Slow progress if any and reasons thereof	
9.	Name and Address (Postal & E-mail) / telephone number of officer (Executive Engineer/Project Manager) to whom reference may be made	
10.	Remarks	

It is to undertake that above is the total list of works under progress in any department and information furnished is true and nothing has been hiding. Further that, if such a violation comes for hiding information or incorrect information to the notice of Department, then we shall be debarred for bidding in UPSCIDCO in future forever.

Note:

1. In Row No 6 above, only the percentage of financial progress shall be mentioned. Ins substantiation of financial progress, the bidder shall submit the statement of up to date payment made against each work, obtained from the Executive Engineer/Project Manager in charge of the work or by the chartered accountant.

SIGNATURE (S) OF BIDDER(S) (WITH STAMP)

अनुबन्ध

यह अनुबन्ध _____ उ० प्र० लखनऊ (जिन्हे आगे ग्राहक विभाग कहा गया है) द्वारा यू० पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, (जिन्हे आगे निगम कहा गया है) _____ जिसकी स्वीकृत लागत रु० _____ लाख है के कार्यों हेतु निगम एवं मेसर्स _____ (जिन्हें आगे ठेकेदार कहा गया है) के मध्य दिनांक _____ को निष्पादित किया जा रहा है। दोनों पक्षों के मध्य सम्पादित हो रहे अनुबन्ध की शर्तें एवं दशायें निम्नवत् हैं:—

1. ठेकेदार द्वारा दी गयी निविद दरों के आधार पर कार्यों की बिल आफ क्वान्टिटी की धनराशि _____ लाख है। निगम के पत्रांक _____ द्वारा ठेकेदार को कार्य आवंटन पत्र (एल०ओ०आई०) जारी किया गया है। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि एल ओ आई की तिथि _____ से 7 दिन है तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से _____ माह होगी।
2. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बन्धित विभिन्न विभागों (Regulating Authority) यथा (पुरातत्व/विकास प्राधिकरण) से आवश्यकतानुसार क्लीयरेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु उक्त मद में ठेकेदार द्वारा व्यय की गयी धनराशि का भुगतान ग्राहक विभाग से प्राप्त धनराशि से ठेकेदार द्वारा कार्य का वास्तविक बिल प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा किया जायेगा।
3. ठेकेदार को जारी कार्य आवन्तन पत्र एवं अनुबन्ध, निगम को आवन्तित कार्य के विषय में ठेकेदार को ग्राहक विभाग के साथ किसी प्रकार के सीधे औपचारिक पत्र व्यवहार के लिए अधिकृत नहीं करता है। अनुबन्ध के कारण ठेकेदार का कार्य एवं कार्य की भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व/अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
4. ठेकेदार द्वारा कार्य का सम्पादन, निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों, विशिष्टियों एवं संरचना के आधार पर तथा निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा तथा निगम के अभियन्ता/उच्चाधिकारियों को किसी भी समय पर कार्य का निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच किये जाने का पूरा अधिकार होगा।
5. लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप कार्यस्थल पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री को प्रयोग में लाये जाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। निर्माण सामग्री के नमूनों को ग्राहक विभाग/निगम द्वारा अनुमोदित कराने के पश्चात ही प्रयोग में लाया जायेगा। ग्राहक विभाग/निगम द्वारा किसी निर्माण सामग्री या सम्पादित कार्य के नमूने का परीक्षण किसी चयनित संस्था/कार्यस्थल पर स्थापित लैब से कराये जाने की दशा में परीक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से की जायेगी। किसी सामग्री के विशिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने पर अथवा टेस्ट में कोई सामग्री फेल होने की दशा में उक्त सामग्री को तत्काल अपने व्यय पर कार्यस्थल से हटाने नयी सामग्री आदि की व्यवस्था करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
6. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री वांछित मानकों के अनुरूप होनी चाहियें। सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा टेस्ट अपने व्यय पर कराते हुए सार्टिफिकेट/वांछित अभिलेख निर्धारित मानक आवृत्ति के अनुसार निगम के उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रमाण हेतु समय-समय पर प्रस्तुत किये जायेगें। यदि निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री वांछित मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती है, तो उसको अस्वीकार करने तथा उसका निर्माण कार्य पर उपयोग रोके जाने का पूर्ण अधिकार निगम का होगा।
7. निर्माण कार्य से सम्बन्धित अस्थायी जल एवं विद्युत की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी तथा कार्यस्थल तक निर्माण सामग्री पहुचाने हेतु आवश्यकतानुसार पहुँच मार्ग ठेकेदार द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर बनाया जायेगा उक्त के मद में निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
8. ठेकेदार द्वारा निगम में प्रयोग हेतु कार्यस्थल पर अनुमोदित ड्राइंग के अनुरूप कार्यालय, विद्युत एवं जलापूर्ति फर्नीचर की व्यवस्था सहित उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राहक विभाग द्वारा इस मद में निगम को प्रतिपूर्ति किये जाने की दशा में उक्त सीमा तक ठेकेदार को भी इस मद में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
9. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यों के कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसकी जांच टी०ए०सी० अथवा अन्य किसी संस्था/विभागीय अधिकारी से कराये जाने के पश्चात कार्यों मकें यदि कोई कमी प्रकाश में आती है, तो उसका निदान ठेकेदार को अपने व्यय पर करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी। यदि उक्त जांच के फलस्वरूप ग्राहक विभाग/निगम पर कोई आर्थिक दण्ड लगाया जाता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी। ठेकेदार के किसी कार्य से ग्राहक विभाग/निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुचती है तो उस क्षति/हानि को वहन करने का दायित्व ठेकेदार का होगा, जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल/जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।

10. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य/भवन में प्रयोग किये गये उपकरणों की गारण्टी/वारण्टी प्रपत्र एवं विशिष्टियों के पूर्ण विवरण निगम को भविष्य के सन्दर्भ हेतु उपलब्ध कराया जाना ठेकेदार की बाध्यता होगी।
11. **रु0 5.00 करोड से अधिक बी0ओ0क्यू0 लागत की परियोजना पर** निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता टेस्ट हेतु कार्यस्थल पर एक गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी जिसके अन्तर्गत कोर्स सैण्ड/स्टोन ग्रेट हेतु Seive Analysis उपकरण Compressure Testing Machine, Weighting Machine with necessary weight, Glass Cylinder for Silt Testing, cubes moldes इत्यादि आवश्यक उपकरण प्रयोगशाला में ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर स्थापित किये जायेंगे। **रु0 5.00 करोड से कम लागत वाली परियोजनाओं पर निर्माण सामग्री की टेस्टिंग राजकीय इंजीनियरिंग कालेज/पालटेक्निक/पी0डब्लू0डी0 से नियमानुसार ठेकेदार के व्यय पर करायी जायेगी। टेस्टिंग की आवृत्ति लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुरूप रखी जाये।**
12. निर्माण स्थल पर प्रयुक्त होने वाला फेब्रिकेशन (स्टील के डोर विण्डो एवं ट्रस) निगम में पंजीकृत फेब्रिकेटर से ही आपूर्ति कर कार्यस्थल पर प्रयोग किया जायेगा। इसी प्रकार रूफ ट्रीटमेन्ट/एन्टी टर्माइट का कार्य भी निगम में पंजीकृत फर्म से कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर रु0 100.00 के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार के माध्यम से निगम को भुगतान के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।
13. ठेकेदार द्वारा लेबर मद में समस्त राजकीय/केन्द्रीय नियमों एवं कानूनों के अनुसार भुगतान, बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सुरक्षा, आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा इस प्रकार आने वाले समस्त व्यय को ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य पर लगायी जाने वाली मैन पावर/लेबर की मृत्यु, दुर्घटना तथा प्राकृतिक आपदा अथवा किसी अन्य कारण से हाने वाली क्षति के क्लेम हेतु आवश्यक/वांछित बीमा ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा एवं प्रमाण पत्र निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि उक्त बीमा कार्य प्रारम्भ से निर्मित भवन के हस्तान्तरित होने तक बंध रहेगा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। ठेकेदार द्वारा लेबर सेस से सम्बन्धित प्राविधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जाएगा।
14. ठेकेदार द्वारा समस्त सांविधिक अधिनियमों केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त श्रम अधिनियमों जैसे वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम, एम्पलायर्स लायबिलिटी ऐक्ट, वर्कमैन कम्पन्सेशन ऐक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मेटरनिलटी बेनिफिट ऐक्ट कान्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड एबॉलीशन ऐक्ट, फ़ैक्ट्री ऐक्ट, वैट तथा सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई संशोधित अधिनियमों एवं उनके प्राविधानों का विधिवत अनुपालन किया जायेगा तथा किसी अधिनियम के किसी प्राविधान का अनुपालन न होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त राजकीय एवं केन्द्रीय सरकार के नियमानुसार कार्यरत लेबर एवं स्टाफ के प्राविडेन्ट फण्ड पंजीकरण एवं लेबर लाइसेन्स की छायाप्रति, निगम के अधिशासी अभियन्ता के पास प्रथम भुगतान से पूर्व जमा करना होगा। उक्त के अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगायी गयी लेबर के प्राविडेन्ट फण्ड के सम्बन्ध में निगम के कार्यालय आदेश संख्या 2372, दिनांक 24 जून, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. विद्युत कार्यो को 'ए' क्लास लाइसेन्स होल्डर से ही सम्पादित कराया जायेगा तथा लाइसेन्स की सत्यापित प्रति कार्य प्रारम्भ के पूर्व निगम को प्रस्तुत की जायेगी। मुख्य सचिव महोदय के स्तर से जारी **शासनादेश संख्या 2990/84-4-2009-183(एम)/2008 दिनांक 07 अक्टूबर, 2009** जिसकी प्रति ठेकेदार के अनुबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जा रही है का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
16. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल को साफ सुथरा रखा जायेगा।
17. यदि ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है या निम्न गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्राहक विभाग द्वारा निर्माण कार्य निगम के स्थान पर किसी अन्य एजेन्सी को आवंटित करने का निर्णय ले लिया जाता है तो इस सम्बन्ध में अतिरिक्त लागत हेतु यदि निगम ग्राहक विभाग के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायित्व होगा तो वह धनराशि/क्षति जो निगम को वहन करनी होगी की प्रतिपूर्ति ठेकेदार के अवशेष बिलों तथा जमानत जमा धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।
18. ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्यो को कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने पश्चात यदि कोई कमी प्रकाश में आती है और उससे निगम को कोई आर्थिक हानि होती है अथवा ठेकेदार के किसी कार्य से निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुंचती है तो उस क्षति/हानि की प्रतिपूर्ति के लिए ठेकेदार उत्तरदायित्व होगा। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ठेकेदार पर पेनाल्टी/कटौती अथवा किसी अन्य मद में डेविट की जाने वाली ऐसी धनराशि जिसकी वसूली उसके बिलों, सिक्योरिटी अथवा अन्य किसी रूप में सम्भव न होने की स्थिति में उक्त धनराशि ठेकेदार पर निगम को देय ऋण के रूप में मानी जायेगी, जिसकी वसूली निगम द्वारा लोकधन देयों की वसूली अधिनियम 1972 यू0 पी0 पब्लिक मनी रिकबरी आफ ड्यूज (एक्ट 1972) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ठेकेदार से की जायेगी।

19. यदि ग्राहक विभाग द्वारा निगम को आवंटित कार्य का अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाता है अथवा कोई विशेष शर्त लागू की जाती है तो यह समस्त शर्तें एवं दशायें सम्बन्धित ठेकेदार पर भी बाध्य/लागू होगी। तथा इस हेतु किसी भी प्रकार का क्लेम स्वीकार नहीं होगा।
20. निर्धारित अवधि के अनुसार ठेकेदार के द्वारा कार्य पूर्ण न करने की दशा में कार्य की लागत का 01 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक पेनाल्टी अधिरोपित की जा सकती है।
21. निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार को होने वाले किसी प्रकार की क्षति के लिए निगम का कोई भी उत्तरदायित्व अथवा देनदारी नहीं होगी और इस प्रकार का कोई दावा न तो ठेकेदार द्वारा किया जायेगा और न ही निगम द्वारा स्वीकार किया जायेगा।
22. यदि कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिक द्वारा भुगतान प्राप्त न होने की शिकायत की जाती है तथा निगम द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में भी ठेकेदार द्वारा लेबर का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस दशा में निगम द्वारा श्रमिकों का भुगतान करते हुए उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार के बिल/जमानत जमा धनराशि से कर ली जायेगी।
23. सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ग्राहक विभाग के अधिकारियों को कार्य का सुपरविजन निरीक्षण करने हेतु आवश्यक सहयोग/सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी। जिस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
24. निर्माणाधीन कार्य पर अग्नि, दुर्घटना, दंगों, सिविल कोमोशन/अथवा प्राकृतिक दैवीय प्रकोपों एवं चोरी आदि से जो भी क्षति होगी उसके लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा एवं उक्त हेतु निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। उक्त दुर्घटना/घटनाओं से होने वाली क्षति के कार्य की सुनिश्चित लागत का बीमा ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर कराया जायेगा तथा बीमा न कराये जाने की दशा में होने वाली किसी प्रकार की क्षति को ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा।
25. विस्तृत आगणन/बिल आफ क्वाटिटी में विभिन्न मदों में दर्शायी गयी मात्रा अनुमानित है तथा कार्य सम्पादन के समय किसी भी आइटम की मात्रा में किसी भी सीमा तक संशोधन हो सकता है या कोई कार्य नहीं भी सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।
26. निगम द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध करायी गयी बिल आफ क्वाटिटी में उल्लिखित मात्राओं से विचलन होने की स्थिति में धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त का भुगतान ठेकेदार को किया जायेगा।
27. निगम द्वारा ठेकेदार को ग्राहक विभाग से प्राप्त धनराशि की सीमा के भीतर कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित कराने हेतु मोबलाइजेशन अग्रिम अनुबन्ध की धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक शिडयूल बैंक (केवल HDFC, ICICI, Axis Bank)द्वारा जारी एवं सत्यापित बैंक गारण्टी के सापेक्ष दो किशतों में दिया जायेगा। प्रथम किशत 5 प्रतिशत का भुगतान कार्य स्थल पर कार्यालय की स्थापना के उपरान्त तथा दूसरी किशत 5 प्रतिशत की किशत का भुगतान कार्यस्थल पर आवश्यक प्रारम्भिक निर्माण सामग्री एवं शटरिंग आदि पहुंचने पर दी जा सकेगी। मोबलाइजेशन अग्रिम प्रतिपूर्ति प्रत्येक रनिंग बिल से 10 प्रतिशत की इस प्रकार की जायेगी कि कार्य का 75 प्रतिशत भुगतान होने तक मोबलाइजेशन अग्रिम ब्याज सहित समायोजन किया जायेगा। मोबलाइजेशन अग्रिम पर अवशेष धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज ठेकेदार से लिया जायेगा।
28. कार्यस्थल पर आगामी 2 माह में आने वाली उपलब्ध सामग्री नान पैरिशिएबल (स्टील, सीमेंट, एग्रीगेट, ब्रिक्स, सेनेट्री, दरवाजे, विद्युत सामग्री, पेन्ट आदि) के सापेक्ष ठेकेदार को सिक्वोर्ड एडवान्स लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों से कार्यस्थल पर उपलब्ध सामग्रियों के सापेक्ष बिल प्रस्तुत करने पर बिल का 75 प्रतिशत अग्रिम Indemnity Bond रू0 100.00 के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने पर दिया जा सकेगा, जिसका समायोजन रनिंग बिल से सामग्री के अनुरूप किया जायेगा। सिक्वोर्ड एडवांस जिन सामग्रियों हेतु दिया जायेगा उनकी सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। सामग्रियों की किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी।
29. ठेकेदार द्वारा सम्पादित किये जाने वाले निर्माण कार्य की मापी के आधार पर रनिंग बिल, न्यूनतम संबंधित भवन की बिल आफ क्वाटिटी के 5 प्रतिशत तक अथवा निम्नलिखित स्टेज के पूर्ण होने पर एल0ओ0आई0 कार्य आवंटन पत्र में दी गयी दरों के आधार पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत करने के 7 कार्य दिवस के अन्दर निगम के कार्य से सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा परीक्षण करते हुए 75 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जायेगा तथा 15 कार्य दिवस के अन्दर विधिवत् चेकिंग करते हुए शेष भुगतान किया जायेगा, जो ग्राहक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से सेन्टज आदि की जाने वाली विभिन्न कटौतियाँ करने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा।
प्लिंथ स्तर पर मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण होने पर।
छत स्तर तक चिनाई के कार्य पूर्ण होने पर।
छत की ढलाई होने के पश्चात् शटरिंग खुलने के उपरान्त।
प्लास्टर कार्य पूर्ण होने पर।
सेनेटरी, फर्श, टाईल आदि कार्य पूर्ण होने पर।
दीवार एवं फर्श टाईल, दरवाजे आदि कार्य पूर्ण होने पर।

पेन्टिंग व विद्युत कार्य के उपरान्त।

5 प्रतिशत की धनराशि हस्तांतरण के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी।

30. ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार आयकर, तथा अन्य सांविधिक करों की कटौती सम्बन्धित अधिनियमों के समय-समय पर लागू प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।
31. ठेकेदार के प्रत्येक रनिग बिल से कार्यवार 5 प्रति0 की जमानती धनराशि निविदा के साथ प्रस्तुत की गयी ई0एम0डी0 की धनराशि के समायोजन होने के उपरान्त काटी जायेगी जिसे निर्माण कार्य ग्राहक विभाग को हस्तांतरित होने के एक साल पश्चात (जिसे डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड कहा जायेगा) अवमुक्त किया जायेगा। ठेकेदार की जमानत धनराशि के मद में कुल जमा धनराशि के 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अवमुक्त किया जा सकता है। डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि में कार्य में किसी भी प्रकार की कमी आने पर उसका निराकरण ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में आने वाली समस्त कमियों का निराकरण एवं अनुरक्षण एक सप्ताह के अन्दर कराया जायेगा अन्यथा उक्त कार्य को निगम द्वारा स्वयं सम्पादित कराकर आने वाले व्यय की वसूली ठेकेदार की जमा सिक्वोरिटी धनराशि से कर ली जायेगी।
32. कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार द्वारा निगम को पूर्ण कार्य का अन्तिम बिल निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अन्य वांछित सूचनाओं/विवरण के साथ उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
33. यदि ग्राहक विभाग द्वारा निगम के बिलों से रिटेन्शनमनी/अन्य कोई कटौतियां की जायेगी तो ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान के समतुल्य धनराशि की कटौती की जायेगी।
34. कार्य स्थल पर निविदित बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की विशिष्टियों में परिवर्तन कदापि न किया जाये। अपरिहार्य परिस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी (यथा ग्राहक विभाग, तकनीकी स्वीकृति प्रदाता अधिकारी इत्यादि) से अनुमोदन प्राप्त करते हुए ही विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाये, परन्तु उक्त के फलस्वरूप कार्य लागत अतिरेक से प्रभावित न हो।
35. अतिरिक्त आइटम के भुगतान हेतु तकनीकी स्वीकृति में लोक निर्माण विभाग की शैड्यूल की प्रभावी दरों में अंकित आइटम के अनुरूप दरों पर एल0ओ0आई0 की शर्तों के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, यदि उक्त आइटम लोक निर्माण विभाग की शैड्यूल की दरों में उपलब्ध न होने की दशा में दरें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (डी0एस0आर0 का वर्ष तकनीकी स्वीकृति में प्रयुक्त प्रभावी वर्ष की दरों के अनुसार) की दरें प्रयोग की जायेगी। दोनो शैड्यूल में दरें न होने की दशा में न्यूनतम बाजार दरों पर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
36. निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने, बिल प्रस्तुत किये जाने, बिल पारित किये जाने निर्माण कार्य के शिड्यूल आदि से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया जो निगम/ग्राहक विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
37. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य को निर्धारित माइल स्टोन के अनुरूप कराया जाना होगा, यदि कार्य की प्रगति निर्धारित माइल स्टोन के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो निगम को माइल स्टोन न प्राप्त करने के सापेक्ष धनराशि रोकने/कार्य का अनुबन्ध आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसा किये जाने की दशा में ठेकेदार द्वारा सात दिनों के अन्दर कार्यस्थल से अपनी लेबर तथा अप्रयुक्त सामग्री को अपने व्यय पर हटाना होगा अन्यथा निगम द्वारा कार्यस्थल पर कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
38. ठेकेदार द्वारा निगम से अनुमोदित अथवा एस0ओ0आर0 में प्रदर्शित ब्राण्ड/मेक की उच्च गुणवत्तायुक्त असली निर्माण सामग्री निर्माण अथवा उसके अधिकृत वितरक से क्रय करके प्रयोग करनी होगी तथा सामग्री की पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी।
39. परियोजना पूर्ण होने के पश्चात भवन हस्तान्तरण तक ठेकेदार को निर्मित भवन एवं परिसर की अपने व्यय पर सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी तथा भवन हस्तान्तरण के समय यदि कोई कमी पायी जाती है तो उसे ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर ठीक/पूर्ण कराना होगा।
40. निगम एवं ठेकेदार के मध्य किसी प्रकार के विवाद की दशा में प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
41. ग्राहक विभाग से किसी प्रकार के विवाद की दशा में ग्राहक विभाग नामित आर्बीटेटर द्वारा विवाद का निस्तारण किया जायेगा तथा आर्बीटेटर देय मानदेय शुल्क का वहन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा, आर्बीटेटर का जो निर्णय निगम पर लागू होगा उसके अनुपालन हेतु ठेकेदार पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
42. यदि ग्राहक विभाग से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है एवं उक्त के फलस्वरूप ग्राहक विभाग अथवा अन्य को कोई धनराशि देय होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा निगम को करनी होगी।

43. ठेकेदार को कार्यादेश जारी होने की तिथि के 07 दिनों के भीतर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि _____ तक पूर्ण कराना अनिवार्य होगा परन्तु यदि ग्राहक विभाग द्वारा पूर्ण करने की तिथि में परिवर्तन किया जाता है तो उक्त तिथि तक ठेकेदार को समय दिया जा सकता है, अन्यथा अनुबन्ध की शर्त संख्या 20 के अनुसार ठेकेदार पर कार्यवाही की जायेगी।
44. यदि ग्राहक विभाग एवं निगम के मध्य यदि कोई अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है अथवा ग्राहक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश दिये जाते हैं तो उक्त अनुबन्ध/निर्देश अनुबन्ध के पार्ट होंगे तथा इस अनुबन्ध के साथ पढ़े जायेंगे।
45. कार्य की अनुमोदित निविदा के समस्त टेण्डर डाक्यूमेन्ट, एन0आई0टी0, जनरल कंडीशन आफ कांट्रैक्ट, विशिष्टियां, बी0ओ0क्यू0, ड्राइंग/प्लान, कार्य पूर्ण करने का शिड्यूल, लेटर आफ एक्सैपटेंस इस अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
46. Contractor will have to make arrangement for the remedy of **COVID-19** pandemic at site on his cost as per direction issued time to time by State/Central Govt. /Local Authority
47. If the contractor fail to the achieve the stages as per mile stone without any valid reason, the E.I.C. will have the power to cancel the contract without waiting for subsequence stages completion

ठेकेदार की ओर से

निगम की ओर से

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर


साक्षी

साक्षी

Name of Work- Renovation work of the building in Jai Prakash
Narayan Sarvodaya Vidyalaya, Dudhi, Sonbhadra

Site Location

(1) Lat 24.220457⁰ Long 83.232848⁰


Executive Engineer
UPSCIDCO,
Sonebhadra